

फर्द अहकाम




नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

मर्गला

बनाम

प्रदलाद कुमार

6/21

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/2021	<p>प्राणी की ओर से प्राणिना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ई. राजस्व अधिनियम 1956 का अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा के द्वारा किम्बु अप्राणीगत पेश किया गया प्राणिना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राणीगत की माली जारी होकर पत्रावली दिनांक 3/3/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर </p>	
3/3/21	<p>माली पेश हुई। वकूलाय द्वारा डोलेन्स/कार्य रणगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 27/5/21 को पेश हो।</p>	
6/4/21	<p>पत्रावली आज प्राणी एवं प्राणी अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्राणपत्र वाकत पत्रावली आज तलक कर विद्वा किम्बे जाने का पेश किम्बे जाने उपरान्त पूर्व लिखित पेशी दिनांक 27/5/21 से आज तलक की गई। प्राणी एवं प्राणी के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय हाजि के अवगत कराया कि उल्लेख प्रकार से सम्बंधित शर्मा का विभाजन का वाद सहायक कलेक्टर बस्सी के न्यायालय में चलवानी मर्गला क्वाम अनपूरणी जा अन्तिम डिक्री हो चुका है आदि। पत्रावली को विद्वा</p>	<p style="text-align: right;">   6/4/2021 </p>


 उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला-जयपुर

आज्ञा विस्तृत रूप से

कम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

कर स्वार्थी क्रिमि एंड न्यायालय
दफ्ता से निवेदन किया। न्यायालय दफ्ता के
अस प्रार्थना पत्र को अवलोकन क्रिमि जाने
पूरचात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परीक्षा विद्वा स्वार्थी
किया जाता है।

प्रावली जेसल शंभर होकर वर्ग नम्बर से
कम होने पर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 6/4/21 को उच्च न्यायालय
एवं सैर इजलास हुआ गया।

उप जिला कलेक्टर एवं जजिस्ट्रेट
बन्नी जिला-जयपुर